न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 423/2024

अनवान : –

1. शिवा पुत्र वेद प्रकाश सहारण जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी खिनानिया हाल–ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रवीना गोदारा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. लक्ष्मी पुत्री वेद प्रकाश जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. रिया सहारण पुत्री वेद प्रकाश जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 08/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 75/66 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1. 7390 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 18 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 108/105 के कुल खसरे 58 का कुल क्षेत्रफल 10.8780 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/6 –1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 150/146 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भतीजे के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार बाद हक त्याग उपरोक्त दोनो खातो की भूमि पर वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता व भुआ के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:53 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद पेश करते समय के अनुसार रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 75/66 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.7390 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 18

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 108/105 के कुल खसरे 58 का कुल क्षेत्रफल 10.8780 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/6 –1/6 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 150/146 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 75/66 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.7390 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 नाम कलमजन करवाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है तथा रोही मौजा 18 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 108/105 के कुल खसरे 58 का कुल क्षेत्रफल 10.8780 है0 भूमि व रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 150/146 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 423/2024

अनवान : –

1. शिवा पुत्र वेद प्रकाश सहारण जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी खिनानिया हाल–ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रवीना गोदारा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. लक्ष्मी पुत्री वेद प्रकाश जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
4. रिया सहारण पुत्री वेद प्रकाश जाति जाट निवासी ममेराकला तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 423 सन 2024 निर्णय दिनांक 08/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 75/66 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 1.7390 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 नाम कलमजन करवाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है तथा रोही मौजा 18 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 108/105 के कुल खसरे 58 का कुल क्षेत्रफल 10.8780 है0 भूमि व रोही मौजा 21 केएनएन तहसील टिब्बी के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 150/146 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.5540 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर